राजस्व विविध संख्या : 263/2024

उनवान : छोगाराम व अन्य बनाम मोहननाथ व अन्य अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
19.05.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर पूर्व न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि ग्राम आकदडा, तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 486 रकबा 0.80 हैक्टेयर के संबंध में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश अब तक प्रभावशील है। काबिल अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने, एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद विचाराधीन है तथा प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि यथास्थिति समाप्त की जाती है तो मौके की स्थिति में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है तथा प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.06.2022 के दौरान मौके पर शांति एवं कानुन व्यवस्था बनी रही तथा किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। फलस्वरुप, प्रार्थीगण का स्थगन/निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.06.2022 को मूल प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक यथावत रखा जाता है। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति, कब्जा एवं रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	